

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ_ २-२ / २०१५ सात / शा.६
प्रति,

समर्स्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

भोपाल, दिनांक १६ जनवरी, २०१५

विषय: पूँजी निवेशकों द्वारा कृषि प्रयोजन की भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन किए जाने के संबंध में।

राज्य के चहुमुखी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न विभागों द्वारा अपनी-अपनी नीतियां जारी की गयी हैं। निजी पूँजी निवेश के माध्यम से उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिये निवेशक निजी भूमिस्वामित्व की कृषि भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करना चाहते हैं। निवेश संवर्धन समिति की बैठक में यह तथ्य सामने आये हैं कि निवेशकों को भूमि व्यपवर्तन में कठिनाई हो रही है।

२/ किसी भी धारक द्वारा निजी भूमिस्वामित्व की कृषि प्रयोजन की भूमि को औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करने का प्रावधान मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ की धारा १७२ की उपधारा (१) के तृतीय परन्तुक में दिया गया है, जिसके अनुसार ऐसी भूमियां जो विकास योजना क्षेत्र के बाहर स्थित हैं और निवेशक भूमिस्वामी ऐसी भूमि औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तित करना चाहता है तो उसे केवल उपर्युक्त अधिकारी को व्यपवर्तन की लिखित जानकारी देना पर्याप्त है, इसके लिए किसी लिखित अनुज्ञा आदेश की आवश्यकता नहीं है।

३/ उक्त प्रावधान के अनुसार ऐसे मामलों में उपर्युक्त अधिकारी द्वारा औद्योगिक प्रयोजन में व्यपवर्तन की सूचना मिलने पर संहिता की धारा ५९ का प्रकरण दर्ज करते हुए नियमानुसार प्रीमियम का अधिरोपण तथा पुनरीक्षित भू-राजस्व का निर्धारण मात्र करना होता है। अतः व्यपवर्तन की सूचना मिलने पर उपर्युक्त अधिकारी तत्काल पूर्ण संक्षिप्तता के साथ प्रीमियम के अधिरोपण एवं भू-राजस्व के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा अधिरोपित राशि की उगाही सुनिश्चित कराएं जिससे एक ओर उद्योगों को तत्काल समुचित सुविधा मिले, वहीं दूसरी ओर राज्य को राजस्व की आय भी हो।

४/ उपरोक्त व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक लोगों में प्रचारित कराई जाए तथा सभी संबंधित कार्यालयों जैसे- जिला उद्योग केन्द्र, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश एवं स्थानीय नगरीय निकाय आदि को भी उक्त व्यवस्था से अवगत करायें और अपने जिले में पदस्थ समर्त उपर्युक्त अधिकारियों को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दें।

३१

(अरुण तिवारी)

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक १६ जनवरी, २०१५

क्रमांक एफ - २-२ / २०१५ सात / शा.६

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, गवालियर।
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवरत, मध्यप्रदेश, गवालियर।
7. समर्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

३१

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग